

**कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड,
महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून -248195**

का०आ०सं०42/प्रशा०IV/ख०ले०श्रे०प०/अक्टूबर 2023/65

दिनांक: 27.09.2023

कार्यालय आदेश (Office Order)

कार्यालय आदेश संख्या 42/प्रशासन IV/परीक्षा/डी०ए०जी०ई०/2023/38 दिनांक: 19.07.2023 के तारतम्य में खंडीय लेखाकार श्रेणी परीक्षा का आयोजन दिनांक 09.10.2023 से 11.10.2023 तक कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०) उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय परिसर में कराया जायेगा | परीक्षा में जो अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, संलग्न परिशिष्ट में उनके नामों के सम्मुख इंडेक्स संख्या अंकित है |

In pursuance of Office Order No. 42/Admin-IV/Examination/D.A.G.E./2023/38 dated: 19.07.2023, Divisional Accountant Grade Exam will be organized from 09.10.2023 to 11.10.2023 in the office premises of the Office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun. The index numbers of the candidates who will appear in the examination are mentioned against their names in the attached appendix.

परीक्षा कार्यक्रम

दिनांक	समय	प्रश्न पत्र
09.10.2023	पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 01:00 बजे तक	(I) निबंध अथवा सार एवं प्रारूप (II) व्याकरण
09.10.2023	अपराह्न 03:00 से अपराह्न 05:00 बजे तक	प्रारंभिक बही खाता
10.10.2023	पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 01:00 बजे तक	लोक निर्माण लेखा एवं प्रक्रिया (व्यवहारिक)
10.10.2023	अपराह्न 03:00 से अपराह्न 05:00 बजे तक	लोक निर्माण लेखा एवं प्रक्रिया (सैद्धांतिक)
11.10.2023	पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 01:00 बजे तक	सामान्य लेखा, कोषागार एवं वित्तीय नियम (केंद्रीय एवं राज्य दोनों सरकारों के)

- निर्देश:-
1. परीक्षा कक्ष में पीठासीन अधिकारी के अलावा किसी को भी किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ उपकरण, स्मार्ट वाच, इलेक्ट्रॉनिक गणक इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है (इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाये जाने पर परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा |
 2. सभी परीक्षार्थियों को परिचय पत्र लाना अनिवार्य है |
 3. परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा कक्ष में पहुंचना सुनिश्चित करें |
 4. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, तथा परीक्षा समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी |
 5. परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र तथा उत्तर पुस्तिका/प्रपत्र के प्रथम पृष्ठ पर ही इंडेक्स नम्बर अंकित किया जायेगा |

हस्ता०/-


वरि० उपमहालेखाकार/प्रशासन

सं०42/प्रशा०IV/ख०ले०श्रे०प०/अक्टूबर 2023/ 561- 567

दिनांक: 27.09.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हक०), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरि० उपमहालेखाकार/प्रशासन (प्रकोष्ठ)
3. उप महालेखाकार /निधि एवं लेखा (प्रकोष्ठ)
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रशासन -II को सभी प्रतिभागियों/सम्बन्धित खंड को सूचित करने हेतु
5. सामान्य प्रशासन अनुभाग को आवश्यक व्यवस्था हेतु /हिन्दी प्रकोष्ठ
6. सूचना पट्ट।


27/09/2023

वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रशा० IV